

प्रेषक,

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0,
16-ए0पी0 सेन रोड, लखनऊ।

सेवा में,

1. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आजमगढ़ मण्डल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आजमगढ़।

पत्र संख्या:-SPMU/NHM/Procure./Visit/2022-23/ 9234

दिनांक 03-03-2023

विषय:- दिनांक 11 जनवरी से 13 जनवरी, 2023 के मध्य राज्य स्तरीय टीम द्वारा की गयी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण आख्या के संबंध में।

महोदय,

कृपया अधोहस्ताक्षरी के पत्र संख्या:-एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./एम. एण्ड ई. /2022-23/04/2566-2, दिनांक 19-07-2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य स्तरीय टीमों द्वारा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अन्तर्गत जनपदों का भ्रमण कर जनपदों में संचालित स्वास्थ्य सेवाओं एवं वित्तीय व्यय की समीक्षा कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त के क्रम में राज्य स्तरीय टीम द्वारा दिनांक 11 जनवरी से 13 जनवरी, 2023 के मध्य जनपद आजमगढ़ का भ्रमण किया गया। उक्त जनपद में संचालित स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण किये जाने के सम्बंध में अपनी आख्या, जिसको टीम द्वारा जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान अवगत कराया गया है, उपलब्ध करायी गयी है।

उपरोक्त आख्या इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि सम्बंधित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही कराते हुए बिन्दुवार अनुपालन आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक—यथोक्त

भवदीया
(अपर्णा उपाध्याय)
मिशन निदेशक
तददिनांक

पत्र संख्या:-SPMU/NHM/Procure./Visit/2022-23/

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त महाप्रबंधक, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, उ0प्र0, लखनऊ।
4. मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन0एच0एम0, आजममढ़ मण्डल, आजमगढ़।
5. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, आजमगढ़।

अपर्णा उपाध्याय
मिशन निदेशक

प्रेषक,

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0,
16-ए0पी0 सेन रोड, लखनऊ।

सेवा में,

1. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आजमगढ़ मण्डल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आजमगढ़।

पत्र संख्या:-SPMU/NHM/Procure./Visit/2022-23/

दिनांक 03-03-2023

विषय:- दिनांक 11 जनवरी से 13 जनवरी, 2023 के मध्य राज्य स्तरीय टीम द्वारा की गयी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण आख्या के संबंध में।

महोदय,

कृपया अधोहस्ताक्षरी के पत्र संख्या:-एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./एम. एप्ड ई. /2022-23/04/2566-2, दिनांक 19-07-2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य स्तरीय टीमों द्वारा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अन्तर्गत जनपदों का भ्रमण कर जनपदों में संचालित स्वास्थ्य सेवाओं एवं वित्तीय व्यय की समीक्षा कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त के क्रम में राज्य स्तरीय टीम द्वारा दिनांक 11 जनवरी से 13 जनवरी, 2023 के मध्य जनपद आजमगढ़ का भ्रमण किया गया। उक्त जनपद में संचालित स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण किये जाने के सम्बंध में अपनी आख्या, जिसको टीम द्वारा जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान अवगत कराया गया है, उपलब्ध करायी गयी है।

उपरोक्त आख्या इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि सम्बंधित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही कराते हुए बिन्दुवार अनुपालन आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक—यथोक्त

भवदीया

(अपर्णा उपाध्याय)

मिशन निदेशक

तददिनांक

पत्र संख्या:-SPMU/NHM/Procure./Visit/2022-23/ 9234-2(5)/

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त महाप्रबंधक, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, उ0प्र0, लखनऊ।
4. मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन0एच0एम0, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।
5. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, आजमगढ़।

Dipana
(अपर्णा उपाध्याय)
मिशन निदेशक

राज्य स्तरीय सपोर्टिव सुपरविजन विजिट आख्या

जनपद—आजमगढ़

भ्रमण अवधि—11 जनवरी 2023 से 13 जनवरी 2023

राज्य स्तरीय टीम

1. श्री प्रभाकर तिवारी, परामर्शदाता, मातृत्व स्वास्थ्य।
2. श्री जैनेन्द्र कुमार मिश्रा, परामर्शदाता, प्रोक्योरमेण्ट।

पर्यवेक्षण के दौरान आच्छादित की गई इकाईयों

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र – तहबरपुर, ब्लाक तहबरपुर।
2. एच०डब्लू०सी० (उपकेन्द्र) – बैरमपुर, ब्लाक तहबरपुर।
3. ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस सत्र, करियावर, ब्लाक तहबरपुर।
4. महापंडित राहुल संस्कृतायायन जिला महिला चिकित्सालय आजमगढ़।
5. जिला महिला चिकित्सालय आजमगढ़।
6. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र – कोयलसा, ब्लाक कोयलसा।
7. एच०डब्लू०सी० (उपकेन्द्र) – अतरैट, ब्लाक कोयलसा।
8. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र – पल्हनी, ब्लाक पल्हनी।

मिशन निदेशक, एन०एच०एम० द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में राज्य स्तरीय टीम सदस्य प्रभाकर तिवारी, परामर्शदाता—मातृ स्वास्थ्य एवं जैनेन्द्र मिश्रा, परामर्शदाता, प्रोक्योरमेण्ट द्वारा दिनांक 11 जनवरी 2023 से 13 जनवरी 2023 के मध्य जनपद आजमगढ़ का भ्रमण कर एल-3, एल-2 व एल-1 स्तर की स्वास्थ्य इकाईयों तथा सामुदायिक गतिविधियों का अवलोकन किया गया। भ्रमण के तृतीय दिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में प्रभारी चिकित्साधिकारियों, ब्लाक लेखा प्रबंधक, ब्लाक कार्यक्रम प्रबंधक, ब्लाक सामुदायिक कार्यक्रम प्रबंधक, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला लेखा प्रबंधक एवं जनपद स्तरीय परामर्शदाता मातृ स्वास्थ्य के साथ समीक्षा / डिब्रीफिंग भी किया गया। भ्रमण रिपोर्ट निम्नानुसार है—

Report Analysis Maternal Health

Block TahbarPur

(Source data HMIS up to Dec 2022)

Indicator No.	Indicator	No of PW	%
	Estimated Pregnancy, 2022-23 <i>(Same as Gol, 12.5% wastage factor as per NFHS 5)</i>	5712	
1.1	Total number of pregnant women registered for ANC	4245	74%
1.2.4	Number of PW given 180 Iron Folic Acid (IFA) tablets	2727	64.24%
1.2.5	Number of PW given 360 Calcium tablets	2319	54.63%
1.2.6	Number of PW given one Albendazole tablet after 1st trimester	1334	31.43%
1.2.7	Number of PW received 4 or more ANC check ups	3142	74.02%
	HRP Management		
1.3.1	New cases of PW with hypertension detected	51	
1.3.1.a	PW with hypertension detected, cases managed at institution	18	
1.4.1	Number of PW tested for Haemoglobin (Hb) 4 or more than 4 times for respective ANCs	1144	26.95%
1.4.2	Number of PW having Hb level<11 (tested cases)(7.1 to 10.9)	89	
1.4.3	Number of PW having Hb level<7 (tested cases)	52	
1.4.4	Number of PW having severe anaemia (Hb<7) treated	2	
1.5.1	Number of PW tested for blood sugar using OGTT (Oral Glucose Tolerance Test)	0	
1.5.2	Number of PW tested positive for GDM	0	
1.6.1.a	Number of PW tested using POC test for Syphilis	924	21.77%
1.6.1.b	Out of above, number of PW found sero positive for Syphilis	0	
1.6.2.a	Number of pregnant women tested for Syphilis	370	
1.6.2.b	Number of pregnant women tested found sero positive for Syphilis	0	
	Total HRP Identified	103	
	Total HRP Treated	20	19.42%
2.2	Number of Institutional Deliveries conducted (Including C-Sections)	784	18.47%
2.2.1	Out of total institutional deliveries number of women discharged within 48 hours of delivery	784	100.00%
	JSY Payment of current year delivery	421	54%

ब्लाक तहबरपुर के एच०एम०आई०एस० दिसम्बर 2022 तक के रिपोर्ट के ऑकलन से स्पष्ट है।

- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जनस्वास्थ्य इकाई (Public health facilities) में पंजीकृत ए०एन०सी० के सापेक्ष आवश्यक निःशुल्क औषधियों का वितरण समस्त गर्भवती महिलाओं को नहीं किया जा रहा है। आई०एफ०ए० टेबलेट 64.24%, कैलशियम टेबलेट 54.63%, एवं एल्बैंडाजॉल टेबलेट 31.43%।
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जनस्वास्थ्य इकाई (Public health facilities) में पंजीकृत ए०एन०सी० के सापेक्ष आवश्यक निःशुल्क जाँच की सुविधा से समस्त गर्भवती महिलाओं को आच्छादित नहीं किया जा रहा है। हीमोग्लोबिन की चार जांच 26.95%, मधुमेह की जांच 0% एवं सिफलिस की जाँच 21.77%।
- चिन्हीकृत उच्च जोखिम युक्त गर्भवती महिलाओं का उपचार या तो उसी स्वास्थ्य इकाई में किया जाना है अथवा उच्च स्तरीय इकाई पर संदर्भन अपेक्षित है, परन्तु चिन्हीत 103 के सापेक्ष मात्र 20(54.63%) का ही प्रबंधन किया गया है।
- जनस्वास्थ्य इकाई (Public health facilities) में पंजीकृत ए०एन०सी० 4,245 के सापेक्ष जनस्वास्थ्य इकाई (Public health facilities) में संस्थागत प्रसव 784 (18.47%) है एवं संस्थागत प्रसव के सापेक्ष 784(100%) प्रसूताओं को 48 घण्टे के अन्दर छुट्टी कर दी गई।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र – तहबरपुर, ब्लाक तहबरपुर

अवलोकन बिन्दु	सुझाव/कृत सुधारात्मक कार्यवाही	जिम्मेदारी
चिकित्सालय परिसर:- लेवर रुम एवं भर्ती मरीजों के लिए शौचालय भी गन्दा एवं शौचालय अक्रियाशील हालत में पाया गया। लेवर रुम में शौचालय पूर्णतः अक्रियाशील हालत में पाया गया। लेवर रुम एवं ए० एन० सी० वार्ड में बिजली व प्रकाश व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। मरीजों हेतु टेबल, पंखा, बेन्च आदि का अभाव वेटिंग एरिया में देखने को मिला। इकाई की सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं थी।	उपलब्ध संसाधनों में आवश्यक व्यवस्थायें करने का सुझाव दिया गया। पर्याप्त पावर बैंक, एवं बिजली व प्रकाश व्यवस्थायें करने का सुझाव दिया गया। मरीजों हेतु टेबल, पंखा, बेन्च आदि उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया। नियमित रूप से परिसर की साफ-सफाई को मेंटेन करने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
आई०ई०सी०:- परिसर में भ्रमण के दौरान समस्त कार्यक्रमों की विभिन्न आई०ई०सी० पुरानी व आवश्यकतानुसार प्रदिशत नहीं थी। परिसर के अन्दर विभिन्न योजनाओं के प्रचार-प्रसार से सम्बन्धित वॉल पेटिंग नहीं है।	विभिन्न कार्यक्रमों की अपडेटेड आई०ई०सी० जनपद स्तर से प्राप्त कर यथास्थान डिस्प्ले कराये जाने का सुझाव दिया गया। विभिन्न योजनाओं के अपडेटेड प्रचार-प्रसार से सम्बन्धित वॉल पेटिंग यथास्थान डिस्प्ले कराये जाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
पंजीकरण कक्ष के बाहर गर्भवती महिलाओं के निःशुल्क पंजीकरण का डिस्प्ले नहीं था।	गर्भवती महिलाओं के निःशुल्क पंजीकरण का डिस्प्ले करने व गर्भवती महिलाओं से पंजीकरण शुल्क न लिये जाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
बायोमेडिकल वेस्ट- उपस्थित स्टाफ को भी बेस्ट सेग्रीगेशन की जानकारी नहीं है। कलर कोडेड डस्टबिन उपलब्ध नहीं है एवं बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेण्ट की व्यवस्था हेतु अनुबन्धित एजेन्सी क्रियाशील नहीं है। शौचालय प्रयोग करने लायक नहीं था।	बायोमेडिकल वेस्ट का सही प्रकार से प्रबन्धन करने व बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेण्ट पर सम्बन्धित समस्त स्टाफ का रिफ्रेशर प्रशिक्षण कराने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी

अवलोकन बिन्दु	सुझाव/ कृत सुधारात्मक कार्यवाही	जिम्मेदारी
मातृत्व स्वास्थ्य:- सेवन(सात ट्रे) व्यवस्थित नहीं है एवं डिलवरी लोड के अनुसार डिलवरी ट्रे नहीं था। प्रकाश की उचित व्यवस्था नहीं था। प्रसव के दौरान इस्तेमाल औजारों को ऑटोक्लेव नहीं किया जा रहा है। रेफरल सिस्टम व्यवस्थित रूप से नहीं पाया गया।	प्रसव कक्ष में मानकानुसार व्यवस्थायें उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया। ऑटोक्लेव व्यवस्था उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया। रेफरल सिस्टम व्यवस्थित रूप से नहीं पाया गया।	सम्बन्धित स्टाफ प्रभारी चिकित्साधिकारी सम्बन्धित स्टाफ
मानकानुसार डिलेवरी रजिस्टर, रेफरल रजिस्टर, भरा नहीं जा रहा था। आर०सी०एच०नम्बर उपलब्ध न होने के कारण भरे नहीं जा रहा थे। ए०एन०सी० रजिस्टर उपलब्ध नहीं था। गर्भवती महिलाओं के पास मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड (एम०सी०पी०कार्ड)था। जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत पुराना फॉर्म भरा जा रहा है जिसमें निर्धारित प्रारूप के अनुसार दो कॉपी में लाभार्थी भुगतान प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। छुट्टी के समय भुगतान से सम्बन्धित लाभार्थी भुगतान प्रमाण पत्र किसी भी लाभार्थी को नहीं दिया जा रहा है। केसशीट उपलब्ध था। दिशा-निर्देश के अनुसार जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत मानकानुसार डाइट रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया जा रहा है।	मानकानुसार डिलेवरी रजिस्टर, रेफरल रजिस्टर, ए०एन०सी० रजिस्टर आदि भरे जाने का सुझाव दिया गया। मानकानुसार रिकार्ड भरे जाने का सुझाव दिया गया।	सम्बन्धित स्टाफ सम्बन्धित स्टाफ
जननी सुरक्षा योजना अन्तर्गत सभी प्रसूताओं को 48 घण्टे नहीं रोका जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 30 बेड़े हैं, परन्तु 8 बेड़े ही संचालन योग्य हैं। मौजूदा एच०एम०आई०एस० की रिपोर्ट के अनुसार दिसम्बर 2022 तक 784 प्रसव के सापेक्ष 784 (100%) प्रसूताओं को 48 घण्टे के अन्दर छुट्टी कर दी गई परन्तु प्रसव पंजिका की जाँच में पाया गया प्रसव भार के अनुसार 3 से 5 घण्टे ही प्रसुतों को रोका जा पा रहा है। जननी सुरक्षा योजना अन्तर्गत सभी प्रसूताओं को 48 घण्टे के अंदर भुगतान नहीं किया जा रहा है। वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार दिसम्बर 2022 तक 784 प्रसव के सापेक्ष 421 (53.70%) प्रसूताओं का भुगतान किया गया है। समस्त गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के लिए कैलशियम आई०एफ०ए० एवं फोलिक एसिड टेबलेट वितरित नहीं किया जा रहा है। जे०एस०एस०के० डाईट के अन्तर्गत लाभार्थियों को दिए जाने वाले भोजन का साईन बोर्ड पी०एन०सी० वार्ड में लगा हुआ पाया गया। लाभार्थियों को नाश्ता व भोजन नहीं दिया जा रहा है।	सभी प्रसूताओं को 48 घण्टे तक रोके जाने व समस्त बेड़ का उपयोग किये जाने का सुझाव दिया गया। जननी सुरक्षा योजना अन्तर्गत सभी प्रसूताओं को 48 घण्टे के अंदर भुगतान किये जाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी व सम्बन्धित स्टाफ
बाल स्वास्थ्य:- टीका करण कक्ष के बाहर प्रचार-प्रसार सम्बन्धी प्रदर्शन पर्याप्त नहीं था। समस्त फीज कार्य करते हुए पाये गये तथा उनमें वैक्सीन उपयुक्त प्रकार से रखी हुई पाई गई। लागबुक मेण्टेन थीं।	दिशा निर्देश के अनुसार प्रत्येक गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के लिए कैलशियम टेबलेट उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया। दिशा निर्देश के अनुसार जे०एस०एस०के० डाईट के अन्तर्गत लाभार्थियों गुणवत्तापूर्ण भोजन दिए जाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी प्रभारी चिकित्साधिकारी
	आई०ई०सी० सामग्री को यथा स्थान पर प्रदर्शित किया जाये।	सम्बन्धित स्टाफ

अवलोकन बिन्दु	सुझाव/ कृत सुधारात्मक कार्यवाही	जिम्मेदारी
परिवार नियोजन- कण्डोम बाक्स नहीं लगा था।	कण्डोम बाक्स लगाने व प्रतिदिन भरने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
पी०पी०आई०य०सी०डी० इन्सर्शन फालोअप के रिकार्ड सही प्रकार से मेण्टेन नहीं किये जा रहे हैं। फालोअप की वास्तविक तिथि का अंकन कई जगह नहीं भरा था।	पी०पी०आई०य०सी०डी० इन्सर्शन फालोअप का फालोअप की वास्तविक तिथि का अंकन किये जाने हेतु सुझाव दिया गया।	सम्बन्धित स्टाफ
प्रयोगशाला- प्रयोगशाला में साफ-सफाई व संकमण से बचाव के प्रोटोकाल्स फालो किये जा रहे थे।	सम्बन्धित को साफ-सफाई व संकमण से बचाव के प्रोटोकाल्स नियमित रूप से फालो करने हेतु सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
औषधि, ड्रग स्टोर एवं ई०डी०एल० वार्ता के दौरान ज्ञात हुआ कि फार्मासिस्ट ई०डी०एल० से अनभिज्ञ है।	समस्त फार्मासिस्ट को ई०डी०एल० उपलब्ध कराये जाने हेतु सुझाव दिया गया।	ए०सी०एम०ओ० स्टोर व चीफ फार्मासिस्ट
ई०डी०एल० का प्रदर्शन नहीं किया गया था। सीटीजन चार्टर पुराना लगा हुआ था।	अपडेटेड ई०डी०एल० का प्रदर्शन प्रतिदिन करने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
मेडिकल स्टोर एवं स्टोर में औषधियों एवं एक्सापायर मेडिसिन का रख रखाव व रजिस्टर इन्ट्री मानकानुसार नहीं था।	फार्मासिस्ट को औषधियों एवं एक्सापायर मेडिसिन का रख रखाव व रजिस्टर इन्ट्री मानकानुसार कराने का सुझाव दिया गया।	सम्बन्धित फार्मासिस्ट
वेयरहाउस में औषधियों की उपलब्धता के बावजूद पासबुक के अनुसार औषधियों को प्राप्त नहीं किया जा रहा है एवं वितरण नहीं किया जा रहा है।	फार्मासिस्ट को वेयरहाउस में औषधियों को इशायू एवं वितरण कराने कराने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी एवं सम्बन्धित फार्मासिस्ट
एच०डब्लू०सी० उपकेन्द्र- जमालपुर काजी, ब्लाक तहबरपुर।		

अवलोकन बिन्दु	सुझाव/ सुधारात्मक कार्यवाही	जिम्मेदारी
उपकेन्द्र परिसर:- परिसर में पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है। परिसर की रंगाई-पुताई एवं ब्रैंडिंग भी नहीं करायी गयी है।	परिसर की साफ-सफाई मेण्टेन रखने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
प्रसव कक्ष, परिसर एवं शौचालय में लाईट (विद्युत आपूर्ती) नहीं था। शौचालय प्रयोग किये जाने हेतु उपयुक्त नहीं था।	परिसर एवं शौचालय में लाईट (विद्युत आपूर्ती) सुनिश्चित कराये जाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
सभी कमरों हेतु पंखो, का अभाव है एवं सफाई भी नहीं की जा रही है। इनवर्टर की व्यवस्था नहीं है।	पंखो व इनवर्टर की व्यवस्था कराये जाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
आई०ई०सी०:- परिसर ब्लाक मुख्यालय परिसर में स्थापित है। भ्रमण के दौरान समस्त कार्यक्रमों की विभिन्न आई०ई०सी० उपलब्ध नहीं थी।	विभिन्न कार्यक्रमों की अपडेटेड आई०ई०सी० यथास्थान डिस्प्ले कराये जाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
दवाईयों एवं उपकरण दवाईयों एवं उपकरणों को बहुत ही अव्यवस्थित तरीके से रखा गया था।	दवाईयों एवं उपकरणों का रिकार्ड में रख-रखाव एवं भौतिक अवलोकन नियमित रूप से करते रहने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
इकाई पर कोई भी जॉच नहीं की जा रही है।	ए०एन०एम० द्वारा उपलब्ध किटों व उपकरणों का प्रयोग करते हुए जॉच करते रहने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी

सामुदायिक गतिविधियों : ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस सत्र करियावर, ब्लाक तहबरपुर।

- सत्र स्थल पर ए०एन०एम०, आशा एवं आंगनवाड़ी तैनात थी। वी०एच०एन०डी० बैनर उपलब्ध था। ए०एन०एम० एवं आशा सत्र स्थल पर आयी गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही थी।
- बच्चों की बजन मशीन क्रियाशील नहीं थी। थर्मामीटर, पन्चर प्रूफ बॉक्स, आशा डायरी, उपलब्ध नहीं पायी गयी।

- लगार्थियों के पास एम०सी०पी० कार्ड उपलब्ध पाया गया जिसपर एम०सी०टी०एस० न० दर्ज किया गया था। किन्तु अधिकांश कार्ड पर आधार न०, बैंक विवरण का आभाव पाया गया।
- जिंक कैलशियम आई०एफ०ए० एवं फोलिक एसिड टेबलेट जैसी मूलभूत दवाएं उपलब्ध थी।
- संसाधान विहीनता के कारण वी.एच.एन.डी. सत्र पर सभी जॉच नहीं की जा रहीं थी।
- परिवार नियोजन सुविधाओं हेतु निश्चय किट, गर्भ निरोधक सामग्री का आभाव पाया गया।
- वी.एच.एन.डी. सत्र में जी.डी.एम.(वी.एच.एन.डी. सत्र में वर्ष 2017–18 से प्रारम्भ) एवं एच.आई.वी. व सिफलिस (वी.एच.एन.डी. सत्र में वर्ष 2018–19 से प्रारम्भ) की न तो जॉच की जा रही थी न ही जॉच की जानकारी थी।
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान एवं अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक चिन्हीकृत उच्च जोखिम युक्त गर्भवती महिलाओं के उपचार एवं फालो—अप के लिए आशा को दिये जाने वाले प्रोत्साहन धनराशि एवं गर्भवती महिला को दिये जाने वाले यात्रा भात्ता की जानकारी ए.एन.एम. एवं आशा को नहीं थी।

Report Analysis Maternal Health

DWH

(Source data HMIS up to Dec 2022)

Indicator No.	Indicator	No of PW	%
	Estimated Pregnancy, 2022-23 (Same as Gol, 12.5% wastage factor as per NFHS 5)	4492	
1.1	Total number of pregnant women registered for ANC	4535	100.96%
1.2.4	Number of PW given 180 Iron Folic Acid (IFA) tablets	4110	90.63%
1.2.5	Number of PW given 360 Calcium tablets	4110	90.63%
1.2.6	Number of PW given one Albendazole tablet after 1st trimester	2060	45.42%
1.2.7	Number of PW received 4 or more ANC check ups	773	17.05%
	HRP Management		
1.3.1	New cases of PW with hypertension detected	44	
1.3.1.a	PW with hypertension detected, cases managed at institution	27	
1.4.1	Number of PW tested for Haemoglobin (Hb) 4 or more than 4 times for respective ANCs	638	14.07%
1.4.2	Number of PW having Hb level<11 (tested cases)(7.1 to 10.9)	3264	
1.4.3	Number of PW having Hb level<7 (tested cases)	94	
1.4.4	Number of PW having severe anaemia (Hb<7) treated	94	
1.5.1	Number of PW tested for blood sugar using OGTT (Oral Glucose Tolerance Test)	0	
1.5.2	Number of PW tested positive for GDM	0	
1.6.1.a	Number of PW tested using POC test for Syphilis	4306	94.95%
1.6.1.b	Out of above, number of PW found sero positive for Syphilis	0	
1.6.2.a	Number of pregnant women tested for Syphilis	0	
1.6.2.b	Number of pregnant women tested found sero positive for Syphilis	0	
	Total HRP Identified	138	
	Total HRP Treated	121	87.68%
2.2	Number of Institutional Deliveries conducted (Including C-Sections)	3093	
2.2.1	Out of total institutional deliveries number of women discharged within 48 hours of delivery	1480	47.85%
	JSY Payment	2590	83.74%

महापंडित राहुल संस्कृतायायन जिला महिला चिकित्सालय आजमगढ़ के एच०एम०आई०एस० दिसम्बर 2022 तक के रिपोर्ट के ऑकड़ों के आकलन से स्पष्ट है।

- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जनस्वास्थ्य इकाई (Public health facilities) में पंजीकृत ए०एन०सी० के सापेक्ष आवश्यक निःशुल्क औषधियों का वितरण समस्त गर्भवती महिलाओं को नहीं किया जा रहा है। आई०एफ०ए० टेबलेट 90.63%, कैलशियम टेबलेट 90.63%, एवं एल्बोडाजॉल टेबलेट 45.42%।
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जनस्वास्थ्य इकाई (Public health facilities) में पंजीकृत ए०एन०सी० के सापेक्ष आवश्यक निःशुल्क जाँच की सुविधा से समस्त गर्भवती महिलाओं को आच्छादित नहीं किया जा रहा है। हीमोग्लोबिन की चार जाँच 14.07%, मधुमेह की जाँच 0% एवं सिफलिस की जाँच 94.95%।
- चिन्हीकृत उच्च जोखिम युक्त गर्भवती महिलाओं का उपचार या तो उसी स्वास्थ्य इकाई में किया जाना है अथवा उच्च स्तरीय इकाई पर संदर्भन अपेक्षित है, परन्तु चिन्हीत 138 के सापेक्ष मात्र 121(87.68%) का ही प्रबंधन किया गया है।

जनस्वास्थ्य इकाई (Public health facilities) में पंजीकृत ए०एन०सी० 4,535 के सापेक्ष जनस्वास्थ्य इकाई (Public health facilities) में संस्थागत प्रसव 3,093(68.20%) है एवं संस्थागत प्रसव के सापेक्ष 1,480 (47.85%) प्रसूताओं को 48 घण्टे के अन्दर छुट्टी कर दी गई।

अवलोकन बिन्दु	सुझाव / सुधारात्मक कार्यवाही	जिम्मेदारी
चिकित्सालय परिसर एवं वार्ड की सफाई असंतोषजनक है, आस-पास दुर्गन्ध भी आ रही है एवं परिसर में जानवर देखे गये। वार्ड में चादर साफ नहीं पाया गया।		मु०चि०अधीक्षक
प्रसव कक्ष में कैलिश पैड पंचर थे, मैटरेस फटे थे जिन्हें बदलने की आवश्यकता है।	वार्ड व प्रसव कक्ष को मानकानुसार व्यवस्थित किया जाना अपेक्षित है।	
लेबर रुम में प्रसव के सापेक्ष बेड तथा लेबर टेबल नहीं है। प्रसव कक्ष डिलवरी लोड के हिसाब से अतियन्त छोटा है। सेवन(सात ट्रे) व्यवस्थित नहीं है एवं डिलवरी लोड के अनुसार डिलवरी ट्रे नहीं था। के० एम० सी० में स्पेस कम एवं चेयर ढूटा था।		
जे०एस०एस०के० डाईट के अन्तर्गत लाभार्थियों को दिए जाने वाले भोजन का साईन बोर्ड पी०एन०सी० वार्ड में लगा हुआ पाया गया। लाभार्थियों को नाश्ता व भोजन नहीं दिया जा रहा है।	दिशा निर्देश के अनुसार जे०एस०एस०के० डाईट के अन्तर्गत लाभार्थियों गुणवत्तापूर्ण भोजन दिए जाने का सुझाव दिया गया।	मु०चि०अधीक्षक
मानकानुसार डिलेवरी रजिस्टर, रेफरल रजिस्टर, भरा नहीं जा रहा था। आर०सी०एच०नम्बर उपलब्ध न होने के कारण भरे नहीं जा रहा थे। ए०एन०सी० रजिस्टर उपलब्ध नहीं था।	मानकानुसार डिलेवरी रजिस्टर, रेफरल रजिस्टर, ए०एन०सी० रजिस्टर एवं केसशीट आदि भरे जाने का सुझाव दिया गया।	मु०चि०अधीक्षक
जननी सुरक्षा योजना अन्तर्गत सभी प्रसूताओं को 48 घण्टे नहीं रोका जा रहा है। जिला महिला चिकित्सालय 100 बेड है, परन्तु तीस बेड ही संचालन योग्य है। मौजूदा एच०एम०आई०एस० की रिपोर्ट के अनुसार दिसम्बर 2022 तक 3,093 प्रसव के सापेक्ष 1,480 (47.85%) प्रसूताओं को 48 घण्टे के अन्दर छुट्टी कर दी गई परन्तु प्रसव पंजिका की जाँच में पाया गया प्रसव भार के अनुसार 18 से 24 घण्टे ही प्रसुतों को रोका जा पा रहा है।	जननी सुरक्षा योजना अन्तर्गत सभी प्रसूताओं को 48 घण्टे तक रोके जाने व समस्त बेड का उपयोग किये जाने का सुझाव दिया गया।	मु०चि०अधीक्षक
जननी सुरक्षा योजना अन्तर्गत सभी प्रसूताओं को 48 घण्टे के अंदर भुगतान नहीं किया जा रहा है। वित्तिय रिपोर्ट के अनुसार दिसम्बर 2022 तक 3093 प्रसव के सापेक्ष 2590(83.74%) प्रसूताओं का	जननी सुरक्षा योजना अन्तर्गत सभी प्रसूताओं को 48 घण्टे के अंदर भुगतान किये जाने का सुझाव दिया गया।	मु०चि०अधीक्षक व सम्बन्धित स्टाफ

अवलोकन बिन्दु	सुझाव / सुधारात्मक कार्यवाही	जिम्मेदारी
भुगतान किया गया है। औषधि, ड्रग स्टोर एवं ई0डी0एल0		
वार्ता के दौरान ज्ञात हुआ कि फार्मासिस्ट ई0डी0एल0 से अनभिज्ञ है।	समस्त फार्मासिस्ट को ई0डी0एल0 उपलब्ध कराये जाने हेतु सुझाव दिया गया।	मु0ची0अधीक्षक व चीफ फार्मासिस्ट
ई0डी0एल0 का प्रदर्शन नहीं किया गया था। सीटीजन चार्टर पुराना लगा हुआ था।	अपडेटेड ई0डी0एल0 का प्रदर्शन प्रतिदिन करने का सुझाव दिया गया।	मु0ची0अधीक्षक
मेडिकल स्टोर एवं स्टोर में औषधियों एवं एक्सापायर मेडिसिन का रख रखाव व रजिस्टर इन्ट्री मानकानुसार नहीं था।	फार्मासिस्ट को औषधियों एवं एक्सापायर मेडिसिन का रख रखाव व रजिस्टर इन्ट्री मानकानुसार कराने का सुझाव दिया गया।	सम्बन्धित फार्मासिस्ट
वेयरहाउस में औषधियों की उपलब्धता के बावजूद पासबुक के अनुसार औषधियों को प्राप्त नहीं किया जा रहा है एवं वितरण नहीं किया जा रहा है। लाभार्थीयों को औषधियों की उपलब्धता के बावजूद बाहर से औषधियों के क्रय के लिए विवश किया जा रहा है।	फार्मासिस्ट को वेयरहाउस में औषधियों को इशायू एवं वितरण कराने कराने का सुझाव दिया गया।	मु0ची0अधीक्षक एवं सम्बन्धित फार्मासिस्ट

Report

Block Palhani

Analysis Maternal Health (Source data HMIS up to Dec 2022)

Indicator No.	Indicator	No of PW	%
	Estimated Pregnancy, 2022-23 (Same as Gol, 12.5% wastage factor as per NFHS 5)	10639	
1.1	Total number of pregnant women registered for ANC	5063	47.59%
1.2.4	Number of PW given 180 Iron Folic Acid (IFA) tablets	5059	99.92%
1.2.5	Number of PW given 360 Calcium tablets	5059	99.92%
1.2.6	Number of PW given one Albendazole tablet after 1st trimester	4416	87.22%
1.2.7	Number of PW received 4 or more ANC check ups	3061	60.46%
	HRP Management		
1.3.1	New cases of PW with hypertension detected	3	
1.3.1.a	PW with hypertension detected, cases managed at institution	3	
1.4.1	Number of PW tested for Haemoglobin (Hb) 4 or more than 4 times for respective ANCs	3072	60.68%
1.4.2	Number of PW having Hb level<11 (tested cases)(7.1 to 10.9)	730	
1.4.3	Number of PW having Hb level<7 (tested cases)	55	
1.4.4	Number of PW having severe anaemia (Hb<7) treated	31	
1.5.1	Number of PW tested for blood sugar using OGTT (Oral Glucose Tolerance Test)	32	
1.5.2	Number of PW tested positive for GDM	0	
1.6.1.a	Number of PW tested using POC test for Syphilis	4764	94.09%
1.6.1.b	Out of above,number of PW found sero positive for Syphilis	15	
1.6.2.a	Number of pregnant women tested for Syphilis	319	
1.6.2.b	Number of pregnant women tested found sero positive for Syphilis	0	
	Total HRP Identified	73	
	Total HRP Treated	34	46.58%
2.2	Number of Institutional Deliveries conducted (Including C-Sections)	259	5.12%
2.2.1	Out of total institutional deliveries number of women discharged within 48 hours of delivery	0	0.00%
	JSY Payment	238	91.89%

ब्लाक पल्हनी के एच०एम०आई०एस० दिसम्बर 2022 तक के रिपोर्ट के ऑकड़ों के आकलन से स्पष्ट है।

- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जनस्वास्थ्य इकाई (Public health facilities) में पंजीकृत ए०एन०सी० के सापेक्ष आवश्यक निःशुल्क औषधियों का वितरण समस्त गर्भवती महिलाओं को नहीं किया जा रहा है। आई०एफ०ए० टेबलेट 99.92%, कैलिशियम टेबलेट 99.92%, एवं एल्बेंडाजॉल टेबलेट 87.22%।
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जनस्वास्थ्य इकाई (Public health facilities) में पंजीकृत ए०एन०सी० के सापेक्ष आवश्यक निःशुल्क जाँच की सुविधा से समस्त गर्भवती महिलाओं को आच्छादित नहीं किया जा रहा है। हीमोग्लोबिन की चार जाँच 60.68%, मधुमेह की जाँच 0.63% एवं सिफलिस की जाँच 94.09%।
- चिन्हीकृत उच्च जोखिम युक्त गर्भवती महिलाओं का उपचार या तो उसी स्वास्थ्य इकाई में किया जाना है अथवा उच्च स्तरीय इकाई पर संदर्भन अपेक्षित है, परन्तु चिन्हीत 73 के सापेक्ष मात्र 34(46.58%) का ही प्रबंधन किया गया है।
- जनस्वास्थ्य इकाई (Public health facilities) में पंजीकृत ए०एन०सी० 5,063 के सापेक्ष जनस्वास्थ्य इकाई (Public health facilities) में संस्थागत प्रसव 259 (5.12%) है एवं संस्थागत प्रसव के सापेक्ष 0(0%) प्रसूताओं को 48 घण्टे के अन्दर छुट्टी कर दी गई।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र – पल्हनी ब्लाक पल्हनी

अवलोकन बिन्दु	सुझाव/कृत सुधारात्मक कार्यवाही	जिम्मेदारी
चिकित्सालय परिसर:- जनस्वास्थ्य इकाई (Public health facilities) में पंजीकृत ए०एन०सी० 5,063 के सापेक्ष जनस्वास्थ्य इकाई (Public health facilities) में बहुत ही कम संस्थागत प्रसव 259 (5.12%) है।	संस्थागत प्रसव बढान के लिए सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
लेवर रुम एवं भर्ती मरीजों के लिए शौचालय भी गन्दा एवं शौचालय अक्रियाशील हालत में पाया गया। लेवर रुम में शौचालय पूर्णतः अक्रियाशील हालत में पाया गया।	उपलब्ध संसाधनों में आवश्यक व्यवस्थायें करने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
लेवर रुम एवं ए० एन० सी० वार्ड में बिजली व प्रकाश व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। मरीजों हेतु टेबल, पंखा, बेन्च आदि का अभाव वेटिंग एरिया में देखने को मिला।	पर्याप्त पावर बैंक, एवं बिजली व प्रकाश व्यवस्थायें करने का सुझाव दिया गया। मरीजों हेतु टेबल, पंखा, बेन्च आदि उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
इकाई की सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं थी।	नियमित रूप से परिसर की साफ-सफाई को मैंटेन करने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
आई०ई०सी०:- परिसर में भ्रमण के दौरान समस्त कार्यक्रमों की विभिन्न आई०ई०सी० पुरानी व आवश्यकतानुसार प्रदिशत नहीं थी। परिसर के अन्दर विभिन्न योजनाओं के प्रचार-प्रसार से सम्बन्धित वॉल पेटिंग नहीं है।	विभिन्न कार्यक्रमों की अपडेटेड आई०ई०सी० जनपद स्तर से प्राप्त कर यथास्थान डिस्प्ले कराये जाने का सुझाव दिया गया। विभिन्न योजनाओं के अपडेटेड प्रचार-प्रसार से सम्बन्धित वॉल पेटिंग यथास्थान डिस्प्ले कराये जाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
पंजीकरण कक्ष के बाहर गर्भवती महिलाओं के निःशुल्क पंजीकरण का डिस्प्ले नहीं था।	गर्भवती महिलाओं के निःशुल्क पंजीकरण का डिस्प्ले करने व गर्भवती महिलाओं से पंजीकरण शुल्क न लिये जाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
बायोमेडिकल वेस्ट- उपस्थित स्टाफ को भी बेस्ट सेग्रीगेशन की जानकारी नहीं है। कलर कोडेड डस्टबिन उपलब्ध नहीं है एवं बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेण्ट की व्यवस्था हेतु अनुबन्धित एजेन्सी क्रियाशील नहीं है। शौचालय प्रयोग करने लायक नहीं था।	बायोमेडिकल वेस्ट का सही प्रकार से प्रबन्धन करने व बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेण्ट पर सम्बन्धित समस्त स्टाफ का रिफ्रेशर प्रशिक्षण कराने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी

अवलोकन बिन्दु	सुझाव / कृत सुधारात्मक कार्यवाही	जिम्मेदारी
मातृत्व स्वास्थ्य:- सेवन(सात ट्रे) व्यवस्थित नहीं है एवं डिलवरी लोड के अनुसार डिलवरी ट्रे नहीं था। प्रकाश की उचित व्यवस्था नहीं था। प्रसव के दौरान इस्तेमाल औजारों को ऑटोक्लेव नहीं किया जा रहा है। रेफरल सिस्टम व्यवस्थित रूप से नहीं पाया गया।	प्रसव कक्ष में मानकानुसार व्यवस्थायें उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया। ऑटोक्लेव व्यवस्था उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया। रेफरल सिस्टम को सुदृढ़ किये जाने हेतु सुझाव दिया गया। रेफरल इन व आउट के रिकार्ड रखने की जानकारी दी गई।	सम्बन्धित स्टाफ
मानकानुसार डिलेवरी रजिस्टर, रेफरल रजिस्टर, भरा नहीं जा रहा था। आर०सी०एच०नम्बर उपलब्ध न होने के कारण भरे नहीं जा रहा थे। ए०एन०सी० रजिस्टर उपलब्ध नहीं था।	मानकानुसार डिलेवरी रजिस्टर, रेफरल रजिस्टर, ए०एन०सी० रजिस्टर आदि भरे जाने का सुझाव दिया गया।	सम्बन्धित स्टाफ
गर्भवती महिलाओं के पास मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड (एम०सी०पी०कार्ड)था। जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत पुराना फॉर्म भरा जा रहा है जिसमें निर्धारित प्रारूप के अनुसार दो कॉपी में लाभार्थी भुगतान प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। छुट्टी के समय भुगतान से सम्बन्धित लाभार्थी भुगतान प्रमाण पत्र किसी भी लाभार्थी को नहीं दिया जा रहा है। केसशीट उपलब्ध था। दिशा-निर्देश के अनुसार जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत मानकानुसार डाइट रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया जा रहा है।	मानकानुसार रिकार्ड भरे जाने का सुझाव दिया गया।	सम्बन्धित स्टाफ
जननी सुरक्षा योजना अन्तर्गत सभी प्रसूताओं को 48 घण्टे नहीं रोका जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 30 बेड है, परन्तु 6 बेड ही संचालन योग्य है। मौजूदा एच०एम०आई०एस० की रिपोर्ट के अनुसार दिसम्बर 2022 तक 259 प्रसव के सापेक्ष 0 (0%) प्रसूताओं को 48 घण्टे के अन्दर छुट्टी कर दी गई परन्तु प्रसव पंजिका की जॉच में पाया गया प्रसव भार के अनुसार 4 से 5 घण्टे ही प्रसूतों को रोका जा पा रहा है।	एच०एम०आई०एस० की रिपोर्ट के अनुसार दिसम्बर 2022 तक 259 प्रसव के सापेक्ष 0 (0%) संदेशास्पद है। सभी प्रसूताओं को 48 घण्टे तक रोके जाने व समस्त बेड का उपयोग किये जाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी व सम्बन्धित स्टाफ
जननी सुरक्षा योजना अन्तर्गत सभी प्रसूताओं को 48 घण्टे के अंदर भुगतान नहीं किया जा रहा है। वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार दिसम्बर 2022 तक 259 प्रसव के सापेक्ष 238 (91.89%) प्रसूताओं का भुगतान किया गया है।	जननी सुरक्षा योजना अन्तर्गत सभी प्रसूताओं को 48 घण्टे के अंदर भुगतान किये जाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी व सम्बन्धित स्टाफ
समस्त गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के लिए कैलशियम आई०एफ०ए० एवं फोलिक एसिड टेबलेट वितरित नहीं किया जा रहा है।	दिशा निर्देश के अनुसार प्रत्येक गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के लिए कैलशियम टेबलेट उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
जे०एस०एस०के० डाईट के अन्तर्गत लाभार्थियों को दिए जाने वाले भोजन का साईन बोर्ड पी०एन०सी० वार्ड में लगा हुआ पाया गया। जनपद में "जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम" के अन्तर्गत निःशुल्क भोजन में लाभार्थियों को नाश्ता व भोजन नहीं दिया जा रहा है।	दिशा निर्देश के अनुसार जे०एस०एस०के० डाईट के अन्तर्गत लाभार्थियों गुणवत्तापूर्ण भोजन दिए जाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
बाल स्वास्थ्य:- टीका करण कक्ष के बाहर प्रचार-प्रसार सम्बन्धी प्रदर्शन पर्याप्त नहीं था। समस्त फीज कार्य करते हुए पाये गये तथा उनमें वैक्सीन उपयुक्त प्रकार से रखी	आई०ई०सी० सामग्री को यथा स्थान पर प्रदर्शित किया जाये।	सम्बन्धित स्टाफ

अवलोकन बिन्दु	सुझाव / कृत सुधारात्मक कार्यवाही	जिम्मेदारी
हुई पाई गई। लागबुक मेण्टेन थीं।		
परिवार नियोजन- कण्डोम बाक्स नहीं लगा था।	कण्डोम बाक्स लगाने व प्रतिदिन भरने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
पी०पी०आई०य०सी०डी० इन्सर्शन फालोअप के रिकार्ड सही प्रकार से मेण्टेन नहीं किये जा रहे हैं। फालोअप की वास्तविक तिथि का अंकन कई जगह नहीं भरा था।	पी०पी०आई०य०सी०डी० इन्सर्शन फालोअप का फालोअप की वास्तविक तिथि का अंकन किये जाने हेतु सुझाव दिया गया।	सम्बन्धित स्टाफ
प्रयोगशाला- प्रयोगशाला में साफ-सफाई व संक्रमण से बचाव के प्रोटोकाल्स फालो किये जा रहे थे।	सम्बन्धित को साफ-सफाई व संक्रमण से बचाव के प्रोटोकाल्स नियमित रूप से फालो करने हेतु सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
औषधि, ड्रग स्टोर एवं ई०डी०एल० वार्ता के दौरान ज्ञात हुआ कि फार्मासिस्ट ई०डी०एल० से अनभिज्ञ है।	समस्त फार्मासिस्ट को ई०डी०एल० उपलब्ध कराये जाने हेतु सुझाव दिया गया।	ए०सी०एम०ओ० स्टोर व चीफ फार्मासिस्ट
ई०डी०एल० का प्रदर्शन नहीं किया गया था। सीटीजन चार्टर पुराना लगा हुआ था।	अपडेटेड ई०डी०एल० का प्रदर्शन प्रतिदिन करने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
मेडिकल स्टोर एवं स्टोर में औषधियों एवं एक्सापायर मेडिसिन का रख रखाव व रजिस्टर इन्ट्री मानकानुसार नहीं था।	फार्मासिस्ट को औषधियों एवं एक्सापायर मेडिसिन का रख रखाव व रजिस्टर इन्ट्री मानकानुसार कराने का सुझाव दिया गया।	सम्बन्धित फार्मासिस्ट
वेयरहाउस में औषधियों की उपलब्धता के बावजूद पासबुक के अनुसार औषधियों को प्राप्त नहीं किया जा रहा है एवं वितरण नहीं किया जा रहा है	फार्मासिस्ट को वेयरहाउस में औषधियों को इशयू एवं वितरण कराने कराने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी एवं सम्बन्धित फार्मासिस्ट

Report Analysis Maternal Health

Block Koilasha

(Source data HMIS up to Dec 2022)

Indicator No.	Indicator	No of PW	%
	Estimated Pregnancy, 2022-23 (Same as Gol, 12.5% wastage factor as per NFHS 5)	5906	
1.1	Total number of pregnant women registered for ANC	4544	76.94%
1.2.4	Number of PW given 180 Iron Folic Acid (IFA) tablets	4027	88.62%
1.2.5	Number of PW given 360 Calcium tablets	4028	88.64%
1.2.6	Number of PW given one Albendazole tablet after 1st trimester	3784	83.27%
1.2.7	Number of PW received 4 or more ANC check ups	1552	34.15%
	HRP Management		
1.3.1	New cases of PW with hypertension detected	22	
1.3.1.a	PW with hypertension detected, cases managed at institution	22	
1.4.1	Number of PW tested for Haemoglobin (Hb) 4 or more than 4 times for respective ANCs	1591	35.01%
1.4.2	Number of PW having Hb level<11 (tested cases)(7.1 to 10.9)	148	
1.4.3	Number of PW having Hb level<7 (tested cases)	6	
1.4.4	Number of PW having severe anaemia (Hb<7) treated	0	
1.5.1	Number of PW tested for blood sugar using OGTT (Oral Glucose Tolerance Test)	0	0.00%
1.5.2	Number of PW tested positive for GDM	0	
1.6.1.a	Number of PW tested using POC test for Syphilis	332	7.31%

Indicator No.	Indicator	No of PW	%
1.6.1.b	Out of above, number of PW found sero positive for Syphilis	0	
1.6.2.a	Number of pregnant women tested for Syphilis	0	
1.6.2.b	Number of pregnant women tested found sero positive for Syphilis	0	
	Total HRP Identified	28	
	Total HRP Treated	22	78.57%
2.2	Number of Institutional Deliveries conducted (Including C-Sections)	1200	26.41%
2.2.1	Out of total institutional deliveries number of women discharged within 48 hours of delivery	1200	100.00%
	JSY Payment	851	70.92%

ब्लाक कोयलसा के एच०एम०आई०एस० दिसम्बर 2022 तक के रिपोर्ट के ऑकड़ों के आकलन से स्पष्ट है।

- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जनस्वास्थ्य इकाई (Public health facilities) में पंजीकृत ए०एन०सी० के सापेक्ष आवश्यक निःशुल्क औषधियों का वितरण समस्त गर्भवती महिलाओं को नहीं किया जा रहा है। आई०एफ०ए० टेबलेट 88.62%, कैलशियम टेबलेट 88.64%, एवं एल्बेंडाजॉल टेबलेट 83.27%।
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जनस्वास्थ्य इकाई (Public health facilities) में पंजीकृत ए०एन०सी० के सापेक्ष आवश्यक निःशुल्क जाँच की सुविधा से समस्त गर्भवती महिलाओं को आच्छादित नहीं किया जा रहा है। हीमोग्लोबिन की चार जाँच 35.01%, मधुमेह की जाँच 0% एवं सिफलिस की जाँच 7.31%।
- चिन्हीकृत उच्च जोखिम युक्त गर्भवती महिलाओं का उपचार या तो उसी स्वास्थ्य इकाई में किया जाना है अथवा उच्च स्तरीय इकाई पर संदर्भन अपेक्षित है, परन्तु चिन्हीत 28 के सापेक्ष मात्र 22(78.57%) का ही प्रबंधन किया गया है।
- जनस्वास्थ्य इकाई (Public health facilities) में पंजीकृत ए०एन०सी० 4,544 के सापेक्ष जनस्वास्थ्य इकाई (Public health facilities) में संस्थागत प्रसव 1,200 (26.41%) है एवं संस्थागत प्रसव के सापेक्ष 1200(100%) प्रसूताओं को 48 घण्टे के अन्दर छुट्टी कर दी गई।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र – कोयलसा , ब्लाक कोयलसा

अवलोकन बिन्दु	सुझाव/ कृत सुधारात्मक कार्यवाही	जिम्मेदारी
चिकित्सालय परिसर:- लेवर रुम एवं भर्ती मरीजों के लिए शौचालय भी गन्दा एवं शौचालय अक्रियाशील हालत में पाया गया। लेवर रुम में शौचालय पूर्णतः अक्रियाशील हालत में पाया गया।	उपलब्ध संसाधनों में आवश्यक व्यवस्थायें करने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
लेवर रुम एवं ए० एन० सी० वार्ड में बिजली व प्रकाश व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। मरीजों हेतु टेबल, पंखा, बेन्च आदि का अभाव वेटिंग एरिया में देखने को मिला।	पर्याप्त पावर बैंक, एवं बिजली व प्रकाश व्यवस्थायें करने का सुझाव दिया गया। मरीजों हेतु टेबल, पंखा, बेन्च आदि उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
इकाई की सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं थी।	नियमित रूप से परिसर की साफ-सफाई को मैंटेन करने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
आई०ई०सी०:- परिसर में भ्रमण के दौरान समस्त कार्यक्रमों की विभिन्न आई०ई०सी० पुरानी व आवश्यकतानुसार प्रदिशत नहीं थी।	विभिन्न कार्यक्रमों की अपडेटेड आई०ई०सी० जनपद स्तर से प्राप्त कर यथास्थान डिस्प्ले कराये जाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
परिसर के अन्दर विभिन्न योजनाओं के प्रचार-प्रसार से सम्बन्धित वॉल पेटिंग नहीं है।	विभिन्न योजनाओं के अपडेटेड प्रचार-प्रसार से सम्बन्धित वॉल पेटिंग यथास्थान डिस्प्ले कराये जाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
पंजीकरण कक्ष के बाहर गर्भवती महिलाओं के निःशुल्क पंजीकरण का डिस्प्ले नहीं था।	गर्भवती महिलाओं के निःशुल्क पंजीकरण का डिस्प्ले करने व गर्भवती महिलाओं से पंजीकरण शुल्क न लिये जाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी

अवलोकन बिन्दु	सुझाव / कृत सुधारात्मक कार्यवाही	जिम्मेदारी
बायोमेडिकल वेस्ट-		
उपस्थित स्टाफ को भी बेर्स्ट सेग्रीगेशन की जानकारी नहीं है। कलर कोडेड डस्टबिन उपलब्ध नहीं है एवं बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेण्ट की व्यवस्था हेतु अनुबन्धित एजेन्सी क्रियाशील नहीं है। शौचालय प्रयोग करने लायक नहीं था।	बायोमेडिकल वेस्ट का सही प्रकार से प्रबन्धन करने व बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेण्ट पर सम्बन्धित समस्त स्टाफ का रिफ़ेशर प्रशिक्षण कराने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
मातृत्व स्वास्थ्य:-		
सेवन(सात ट्रे) व्यवस्थित नहीं है एवं डिलवरी लोड के अनुसार डिलवरी ट्रे नहीं था। प्रकाश की उचित व्यवस्था नहीं था।	प्रसव कक्ष में मानकानुसार व्यवस्थायें उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया।	सम्बन्धित स्टाफ
प्रसव के दौरान इस्टेमाल औजारों को ऑटोक्लेव नहीं किया जा रहा है।	ऑटोक्लेव व्यवस्था उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
रेफरल सिस्टम व्यवस्थित रूप से नहीं पाया गया।	रेफरल सिस्टम को सुदृढ़ किये जाने हेतु सुझाव दिया गया। रेफरल इन व आउट के रिकार्ड रखने की जानकारी दी गई।	सम्बन्धित स्टाफ
मानकानुसार डिलेवरी रजिस्टर, रेफरल रजिस्टर, भरा नहीं जा रहा था। आर0सी0एच0नम्बर उपलब्ध न होने के कारण भरे नहीं जा रहा थे। ए0एन0सी0 रजिस्टर उपलब्ध नहीं था।	मानकानुसार डिलेवरी रजिस्टर, रेफरल रजिस्टर, ए0एन0सी0 रजिस्टर आदि भरे जाने का सुझाव दिया गया।	सम्बन्धित स्टाफ
गर्भवती महिलाओं के पास मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड (एम0सी0पी0कार्ड)था। जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत पुराना फॉर्म भरा जा रहा है जिसमें निर्धारित प्रारूप के अनुसार दो कॉपी में लाभार्थी भुगतान प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। छुट्टी के समय भुगतान से सम्बन्धित लाभार्थी भुगतान प्रमाण पत्र किसी भी लाभार्थी को नहीं दिया जा रहा है। केसशीट उपलब्ध था। दिशा-निर्देश के अनुसार जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत मानकानुसार डाइट रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया जा रहा है।	मानकानुसार रिकार्ड भरे जाने का सुझाव दिया गया।	सम्बन्धित स्टाफ
जननी सुरक्षा योजना अन्तर्गत सभी प्रसूताओं को 48 घण्टे नहीं रोका जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 30 बोर्ड है, परन्तु 6 बोर्ड ही संचालन योग्य है। मौजूदा एच0एम0आई0एस0 की रिपोर्ट के अनुसार दिसम्बर 2022 तक 1200 प्रसव के सापेक्ष 1200 (100%) प्रसूताओं को 48 घण्टे के अन्दर छुट्टी कर दी गई परन्तु प्रसव पंजिका की जाँच में पाया गया प्रसव भार के अनुसार 3 से 5 घण्टे ही प्रसूतों को रोका जा पा रहा है।	सभी प्रसूताओं को 48 घण्टे तक रोके जाने व समस्त बोर्ड का उपयोग किये जाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी व सम्बन्धित स्टाफ
जननी सुरक्षा योजना अन्तर्गत सभी प्रसूताओं को 48 घण्टे के अंदर भुगतान नहीं किया जा रहा है। वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार दिसम्बर 2022 तक 1200 प्रसव के सापेक्ष 851 (70.92%) प्रसूताओं का भुगतान किया गया है।	जननी सुरक्षा योजना अन्तर्गत सभी प्रसूताओं को 48 घण्टे के अंदर भुगतान किये जाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी व सम्बन्धित स्टाफ
समस्त गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के लिए कैलशियम आई0एफ0ए0 एवं फोलिक एसिड टेबलेट वितरित नहीं किया जा रहा है।	दिशा निर्देश के अनुसार प्रत्येक गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के लिए कैलशियम टेबलेट उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
जे0एस0एस0के0 डाइट के अन्तर्गत लाभार्थियों को दिए जाने वाले भोजन का साईन बोर्ड पी0एन0सी0 वार्ड में लगा हुआ पाया गया। लाभार्थियों को नाश्ता	दिशा निर्देश के अनुसार जे0एस0एस0के0 डाइट के अन्तर्गत लाभार्थियों गुणवत्तापूर्ण भोजन दिए जाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी

अवलोकन बिन्दु	सुझाव/कृत सुधारात्मक कार्यवाही	जिम्मेदारी
व भोजन नहीं दिया जा रहा है। बाल स्वास्थ्य:-		
टीका करण कक्ष के बाहर प्रचार-प्रसार सम्बन्धी प्रदर्शन पर्याप्त नहीं था। समस्त फीज कार्य करते हुए पाये गये तथा उनमें वैक्सीन उपयुक्त प्रकार से रखी हुई पाई गई। लाग्बूक मेण्टेन थीं।	आई०ई०सी० सामग्री को यथा स्थान पर प्रदर्शित किया जाये।	सम्बन्धित स्टाफ
परिवार नियोजन-		
पी०पी०आई०य०सी०डी० इन्सर्शन फालोअप के रिकार्ड सही प्रकार से मेण्टेन नहीं किये जा रहे हैं। फालोअप की वास्तविक तिथि का अंकन कई जगह नहीं भरा था।	पी०पी०आई०य०सी०डी० इन्सर्शन फालोअप का फालोअप की वास्तविक तिथि का अंकन किये जाने हेतु सुझाव दिया गया।	सम्बन्धित स्टाफ
प्रयोगशाला-		
प्रयोगशाला में साफ-सफाई व संकरण से बचाव के प्रोटोकॉल्स फालो किये जा रहे थे।	सम्बन्धित को साफ-सफाई व संकरण से बचाव के प्रोटोकॉल्स नियमित रूप से फालो करने हेतु सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
औषधि, ड्रग स्टोर एवं ई०डी०एल०		
वार्ता के दौरान ज्ञात हुआ कि फार्मासिस्ट ई०डी०एल० से अनभिज्ञ है।	समस्त फार्मासिस्ट को ई०डी०एल० उपलब्ध कराये जाने हेतु सुझाव दिया गया।	ए०सी०एम०ओ० स्टोर व चीफ फार्मासिस्ट
ई०डी०एल० का प्रदर्शन नहीं किया गया था। सीटीजन चार्टर पुराना लगा हुआ था।	अपडेटेड ई०डी०एल० का प्रदर्शन प्रतिदिन करने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
मेडिकल स्टोर एवं स्टोर में औषधियों एवं एक्सापायर मेडिसिन का रख रखाव व रजिस्टर इन्ट्री मानकानुसार नहीं था।	फार्मासिस्ट को औषधियों एवं एक्सापायर मेडिसिन का रख रखाव व रजिस्टर इन्ट्री मानकानुसार कराने का सुझाव दिया गया।	सम्बन्धित फार्मासिस्ट
वेयरहाउस में औषधियों की उपलब्धता के बावजूद पासबूक के अनुसार औषधियों को प्राप्त नहीं किया जा रहा है एवं वितरण नहीं किया जा रहा है।	फार्मासिस्ट को वेयरहाउस में औषधियों को इशयू एवं वितरण कराने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी एवं सम्बन्धित फार्मासिस्ट
एच०डब्लू०सी० उपकेन्द्र-अतरैट, ब्लाक कोयलसा।		

अवलोकन बिन्दु	सुझाव/सुधारात्मक कार्यवाही	जिम्मेदारी
उपकेन्द्र परिसर:-		
परिसर में पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है। परिसर की रंगाई-पुताई एवं ब्रैंडिंग भी नहीं करायी गयी है।	परिसर की साफ-सफाई मेण्टेन रखने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
प्रसव कक्ष, परिसर एवं शौचालय में लाईट (विद्युत आपूर्ती) नहीं था। शौचालय प्रयोग किये जाने हेतु उपयुक्त नहीं था।	परिसर एवं शौचालय में लाईट (विद्युत आपूर्ती) सुनिश्चित कराये जाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
सभी कमरों हेतु पंखो, का अभाव है एवं सफाई भी नहीं की जा रही है। इनवर्टर की व्यवस्था नहीं है।	पंखो व इनवर्टर की व्यवस्था कराये जाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
आई०ई०सी०:-		
परिसर ब्लाक मुख्यालय परिसर में स्थापित है। भ्रमण के दौरान समस्त कार्यक्रमों की विभिन्न आई०ई०सी० उपलब्ध नहीं थी।	विभिन्न कार्यक्रमों की अपडेटेड आई०ई०सी० यथास्थान डिस्प्ले कराये जाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
दवाईयों एवं उपकरण		
दवाईयों एवं उपकरणों को बहुत ही अव्यवस्थित तरीके से रखा गया था।	दवाईयों एवं उपकरणों का रिकार्ड में रख-रखाव एवं भौतिक अवलोकन नियमित रूप से करते रहने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
इकाई पर कोई भी जॉच नहीं की जा रही है।	ए०एन०एम० द्वारा उपलब्ध किटों व उपकरणों का प्रयोग करते हुए जॉच करते रहने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी

अवलोकन बिन्दु	सुझाव / सुधारात्मक कार्यवाही	जिम्मेदारी
मातृत्व स्वास्थ्य:- वित्तीय वर्ष 2021–22 में एच0डब्लूसी0 उपकेन्द्र –अतरैट को प्रसव केन्द्र (डिलवरी प्वाईट) के रूप में परिवर्तित किया गया परन्तु यह उपकेन्द्र इससे पहले से ही प्रसव केन्द्र है एवं प्रसव पहले से ही हो रहा है।	उपकेन्द्र अतरैट यदि पहले से ही प्रसव केन्द्र (डिलवरी प्वाईट) के रूप में फंशनल था तो प्रसव केन्द्र (डिलवरी प्वाईट) के रूप में किसी अन्य उपकेन्द्र को परिवर्तित किया जाना चाहिए था।	मुख्य चिकित्साअधिकारी, उप मुख्य चिकित्साअधिकारी एवं प्रभारी चिकित्साधिकारी
वित्तीय वर्ष 2021–22 में एच0डब्लूसी0 उपकेन्द्र –अतरैट सहित तिन अन्य उपकेन्द्रों को प्रसव केन्द्र (डिलवरी प्वाईट) के रूप में परिवर्तित करने के लिए दो दो लाख रूपये राज्य स्तर से 27 इक्यूपौंट के क्रय हेतु आवंटित किया गया था परन्तु उपकेन्द्र–अतरैट में कोई भी इक्यूपौंट में नहीं दिखा है।	राज्य स्तर से 27 इक्यूपौंट के क्रय हेतु आवंटित बजट के सापेक्ष इक्यूपौंट का क्रय किया जाए एवं प्रसव केन्द्र (डिलवरी प्वाईट) के रूप में परिवर्तित उपकेन्द्रों में यथाषिधि पहुँचाया जाए।	मुख्य चिकित्साअधिकारी, उप मुख्य चिकित्साअधिकारी एवं प्रभारी चिकित्साधिकारी
सेवन(सात ट्रे) व्यवस्थित नहीं है एवं डिलवरी लोड के अनुसार डिलवरी ट्रे नहीं था। प्रकाश की उचित व्यवस्था नहीं था।	प्रसव कक्ष में मानकानुसार व्यवस्थायें उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
प्रसव के दौरान इस्तेमाल औजारों को ऑटोक्लेव नहीं किया जा रहा है।	ऑटोक्लेव व्यवस्था उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया।	
रेफरल सिस्टम व्यवस्थित रूप से नहीं पाया गया।	रेफरल सिस्टम को सुदृढ़ किये जाने हेतु सुझाव दिया गया। रेफरल इन व आउट के रिकार्ड रखने की जानकारी दी गई।	
मानकानुसार डिलेवरी रजिस्टर, रेफरल रजिस्टर, भरा नहीं जा रहा था। आर0सी0एच0नम्बर उपलब्ध न होने के कारण भरे नहीं जा रहा थे। ए0एन0सी0 रजिस्टर उपलब्ध नहीं था।	मानकानुसार डिलेवरी रजिस्टर, रेफरल रजिस्टर, ए0एन0सी0 रजिस्टर आदि भरे जाने का सुझाव दिया गया।	
समस्त गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के लिए कैलशियम,आई0एफ0ए0 एवं फोलिक एसिड टेबलेट वितरित नहीं किया जा रहा है।	दिशा निर्देश के अनुसार प्रत्येक गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के लिए कैलशियम टेबलेट उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया।	
जे0एस0एस0के0 डाईट के अन्तर्गत लाभार्थियों को दिए जाने वाले भोजन का साईन बोर्ड पी0एन0सी0 वार्ड में लगा हुआ पाया गया। लाभार्थियों को नाश्ता व भोजन नहीं दिया जा रहा है।	दिशा निर्देश के अनुसार जे0एस0एस0के0 डाईट के अन्तर्गत लाभार्थियों गुणवत्तापूर्ण भोजन दिए जाने का सुझाव दिया गया।	

Report Analysis Maternal Health

Diſtrict Azamgarh

(Source data HMIS up to Dec 2022)

Indicator No.	Indicator	No of PW	%
	Estimated Pregnancy, 2022-23 (Same as GoI, 12.5% wastage factor as per NFHS 5)	149050	
1.1	Total number of pregnant women registered for ANC	104811	70%
1.2.4	Number of PW provided full Course 180 Iron Folic Acid (IFA) tablets	101516	97%
1.2.5	Number of PW provided full Course 360 Calcium tablets	162127	155%
1.2.6	Number of PW given one Albendazole tablet after 1st trimester	43364	41%
1.2.7	Number of PW received 4 or more ANC check ups	74701	71%
1.4.1	Number of PW tested for Haemoglobin (Hb) 4 or more than 4 times for respective ANCs	69048	66%
1.5.1	Number of PW tested for Blood Sugar using OGTT	10378	10%
1.6.1.a	Number of PW tested using POC test for Syphilis	25553	24%
15.3.3.a	Number of pregnant women screened for HIV (by finger prick test)	48494	46%

Indicator No.	Indicator	No of PW	%
	Total HRP Detected	4597	4%
1.3.1	New cases of PW with hypertension detected	1502	
1.4.3	Number of PW having Hb level<7 (out of total tested cases)	2861	
1.5.2	Number of PW tested positive for GDM	198	
1.6.1.b	Out of above, number of PW found sero positive for Syphilis	22	
1.6.2.b	Number of pregnant women tested found sero positive for Syphilis	0	
15.3.3.b	Out of the above, number screened positive	14	
	Total Detected HRP Treated	1689	37%
1.3.1.a	Out of the new cases of PW with hypertension detected, cases managed at institution	618	
1.3.2	Number of Eclampsia cases managed during delivery	25	
1.4.4	Number of PW having severe anaemia (Hb < 7) treated	1046	
1.6.2.c	Number of syphilis positive pregnant women treated for Syphilis	0	
	Institutional Deliveries		
2.2	Number of Institutional Deliveries conducted (Including C-Sections)	26705	25%
2.2.1	Out of total institutional deliveries number of women discharged within 48 hours of delivery	10346	39%
3.1	Total C -Section deliveries performed	1066	
3.1.1	C-sections, performed at night (8 PM- 8 AM)	5	0.47%
	Total Maternal Deaths		38
16.5.1	Number of Maternal Deaths due to Bleeding	10	
16.5.2	Number of Maternal Deaths due to High fever	0	
16.5.3	Number of Maternal Deaths due to Abortion	0	
16.5.4	Number of Maternal Deaths due to Obstructed/prolonged labour	1	
16.5.5	Number of Maternal Deaths due to Severe hypertension/fits	1	
16.5.6	Number of Maternal Deaths due to Other Causes (including causes not known)	26	
	Maternal Deaths Reviewed		
16.6	Total Facility Based Maternal Death Reviews (FBMDR) done	11	29%
24.1	Total Maternal Deaths Reviewed (MDR) by CMO	9	24%
24.2	Total Maternal Deaths Reviewed (MDR) by DM	2	5%
24.3	Number of maternal deaths reported through Community based Maternal Death Review (CBMDR)	10	26%
	JSSK		
25.1.1	Number of Pregnant Women provided - Free Medicines under JSSK	66282	63%
25.1.2	Number of Pregnant Women provided - Free Diet under JSSK	38694	145%
25.1.3	Number of Pregnant Women provided - Free Diagnostics under JSSK	66282	63%

जनपद आजमगढ़ में के एच०एम०आई०एस० दिसम्बर 2022 तक के रिपोर्ट के अँकड़ों के आकलन से स्पष्ट है।

- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जनस्वास्थ्य इकाई (Public health facilities) में पंजीकृत ए०एन०सी० के सापेक्ष आवश्यक निःशुल्क औषधियों का वितरण समस्त गर्भवती महिलाओं को नहीं किया जा रहा है। आई०एफ०ए० टेबलेट 97%, पंजीकृत ए०एन०सी० से ज्यादा गर्भवती महिलाओं को कैलशियम टेबलेट 155% दिया गया है, एवं एल्बेंडाजॉल टेबलेट 41% परन्तु मातृत्व स्वास्थ्य की सुविधाएँ प्रदान करने में सफलता नहीं मिली है।
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जनस्वास्थ्य इकाई (Public health facilities) में पंजीकृत ए०एन०सी० के सापेक्ष आवश्यक निःशुल्क जाँच की सुविधा से समस्त गर्भवती महिलाओं को आच्छादित नहीं किया जा रहा है। हीमोग्लोबिन की चार जाँच 66%, मधुमेह की जाँच 10%, सिफलिस की जाँच 24% एवं एच०आई०वी० की जाँच 46%।
- जनस्वास्थ्य इकाई (Public health facilities) में पंजीकृत ए०एन०सी० 1,04,811 के सापेक्ष जनस्वास्थ्य इकाई (Public health facilities) में संस्थागत प्रसव 26,705 (25%) है एवं संस्थागत प्रसव के सापेक्ष 10,346 (39%) प्रसूताओं को 48 घण्टे के अन्दर छुट्टी कर दी गई।
- जनस्वास्थ्य इकाई (Public health facilities) में संस्थागत प्रसव के सापेक्ष धात्री माताओं आई०एफ०ए० टेबलेट 19,554 (73%) एवं कैलशियम टेबलेट 19,393 (72%) नहीं दिया जा रहा है।

- एम०डी०एस०आर० के अन्तर्गत मातृ मृत्यु समीक्षा नहीं कि जा रही है।
 - 38 मातृ मृत्यु में से 10 सामुदायिक स्तर पर मातृ मृत्यु समीक्षा(CBMDR) एवं 11 फैसेलिटी स्तर पर मातृ मृत्यु समीक्षा (FBMDR) मुख्य चिकित्साधिकारी की अध्यक्षता 9 मातृ मृत्यु समीक्षा एवं जिलाधिकारी की अध्यक्षता 2 मातृ मृत्यु समीक्षा हुई।
- जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत जनपद के भौतिक रिपोर्ट में एकरूपता नहीं है। एच०एम०आई०एस० के अनुसार 26,705 संस्थागत प्रसव, निदेशालय को प्रेषित गये प्रपत्र 18 के अनुसार 26,784 संस्थागत प्रसव है।
- जनपद में “जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम” के अन्तर्गत संस्थागत प्रसव 26,705 के सापेक्ष 38,694 (145%) से ज्यादा गर्भवती निःशुल्क भोजन दिया गया है।
- जनपद में “जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम” के अन्तर्गत 1,04,811 पंजीकृत ए०एन०सी० के सापेक्ष 66,282 (63%) को औषधि तथा कन्ज्यूमेबिल्स एवं 66,282 (63%) निःशुल्क जाँचों जा रहा है।
- वित्तीय वर्ष 2022–23 की रिपोर्ट की समीक्षा की गयी, जिसमें यह पाया गया कि जनपदों द्वारा की गयी कमिटेड रक्षित धनराषि एवं वित्तीय वर्ष 2022–23 (माह अप्रैल 2022 से दिसम्बर 2022 तक) हेतु आवंटित बजट के सापेक्ष कम व्यय किया है। (विस्तृत विवरण /संलग्नक मुख्य चिकित्साधिकारी को दिया गया)

मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में समीक्षा बैठक

बैठक के प्रतिभागी – मुख्य चिकित्साधिकारी, उप मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक—एन०एच०एम०, जिला लेखा प्रबन्धक—एन०एच०एम० एवं जनपद स्तरीय परामर्शदाता मातृ स्वास्थ्य

जनपद आजमगढ़ में निम्न महत्वपूर्ण समस्या/तथ्य है, जिन्के कारण कार्यक्रमों के संचालन प्रभावित हो रहा है।

- जनपद में “जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम” के अन्तर्गत जिला महिला चिकित्सालय के अतिरिक्त किसी भी स्वास्थ्य इकाई में निःशुल्क भोजन नहीं दिया जा रहा है। जिला महिला चिकित्सालय में सिर्फ नाश्ते में दूध ब्रेड दिया जा रहा है। जनपद में “जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम” के अन्तर्गत निःशुल्क भोजन दिये जाने का सुझाव दिया गया।
- मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत कई नई गतिविधियों का संचालन वी.एच.एन.डी. स्तर पर हो रहा है। वी.एच.एन.डी. सत्र में एच.आई.वी. व सिफलिस (वी.एच.एन.डी. सत्र में वर्ष 2018–19 से प्रारम्भ) की जाँच की जानकारी एवं आवश्यक उपकरणों व किट का आभाव पाया गया। एच.आई.वी. व सिफलिस की जाँच कराये जायें एवं वी.एच.एन.डी. स्तर तक उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने का सुझाव दिया गया।
- गर्भवती महिलाओं हेतु एच०आई०वी० एवं सिफलिस की जाँच के लिए अलग से वैक्सिन कैरियर क्रय किया गया था। ब्लाक मोहम्मदपुर व बिलारीगंज को छोड़कर सभी को वितरित कर दिया गया है परन्तु वी.एच.एन.डी. सत्रों में दो वैक्सिन कैरियर नहीं ले जाया जा रहा है। रूपये 40 ए०वी०डी० देने का प्रावधान है परन्तु कोई व्यय नहीं किया गया है। ए.एन.एम स्तर पर जी.डी.एम., एच०आई०वी० एवं सिफलिस की बेसिक जानकारी का अभाव पाया गया है अतःपुनःरिफेशर प्रशिक्षण की कार्यनिती पर विचार किये जाने का सुझाव दिया गया।
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत औषधियों की पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद का औषधियों वितरण समस्त गर्भवती महिलाओं को नहीं किया जा रहा है।
- नये मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड (एम०सी०पी० कार्ड) पूर्ण रूप से भरे जायें। विशेषकर बैंक खाता, आधार संख्या, एम०सी०टी०एस०, मोबाइल नम्बर व ए०एन०सी० जाँच की प्रविष्टि अवश्य की जाए।
- दिशा—निर्देश के अनुसार मातृ मृत्यु समीक्षा एवं उचित तरीके से रिपोर्टिंग किये जाने का अनुरोध किया गया।
- एच०आर०पी० इंसेंटिव का ससमय भुगतान आशा एवं ए०एन०एम० किये जाने का अनुरोध किया गया।
- भ्रमण के दौरान पायी गयी जनपद की यथास्थिति से मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय को अवगत कराया गया एवं कमियों को दूर किये जाने हेतु कहा गया।
- जनपद की समस्त स्वास्थ्य इकाईयों एवं प्रसव कक्ष को मानकानुसार तैयार किये जाने एवं समस्त आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु आग्रह किया गया।
- जे०एस०वाई० की उपलब्धि में गिरावट के कारणों को चिन्हित कर उपलब्धि बढ़ाये जाने का सुझाव दिया गया।

- वी.एच.एन.डी. सत्र एवं स्वास्थ्य इकाईयों में जी.डी.एम.एवं एच.आई वी. व सिफलिस की जॉच के प्रति उदाशीनता एवं अन्य कमियों को दूर किये जाने हेतु कहा गया।
- ए.एन.सी. रजिस्टर, प्रसव रजिस्टर, रेफरल रजिस्टर, जे०एस०वाई० भुगतान आदि का इंचार्ज द्वारा नियमित अवलोकन कर त्रुटियों को ठीक कराया जाये। प्रसूताओं को डिस्चार्ज के समय जे०एस०वाई० भुगतान प्रमाणपत्र प्रदान किया जाये। सभी स्टैण्डर्ड रजिस्टर के सभी कालम भरे जाने का सुझाव दिया गया।
- ‘प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान’ के लक्ष्यों प्राप्त करने के लिए जनपद एवं ब्लाक स्तर पर ठोस कार्यनिती बनाने का अनुरोध किया गया।
- ‘प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान’ के सफल संचालन हेतु विस्तृत चर्चा की गयी।
 - किसी भी स्वास्थ्य इकाई में “प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान” कार्यक्रम के अन्तर्गत निःशुल्क प्रदान की जानी वाली सेवाओं के प्रचार प्रसार के लिए वाल राइटिंग नहीं किया गया है एवं हैंडबिल न तो छपवाया गया है न ही वितरित किया गया है।
 - “प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान” कार्यक्रम के अन्तर्गत, जनपद स्तरीय समीक्षा बैठक तथा चिन्हित जनपद व ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य इकाइयों पर बैठक भी नहीं किया गया है।
 - “प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान” कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में एक मॉडल प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व वलीनिक बनाया जाना प्रस्तावित है परन्तु जनपद में मॉडल प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व वलीनिक अभी तक नहीं बनाया गया।
 - प्रावाधान के अनुसार “प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान” कार्यक्रम के अन्तर्गत राजकीय स्वास्थ्य इकाइयों में अपना चेक-अप कराने आने वाली गर्भवती महिलाओं को अन्याहार उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।
 - “प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान” कार्यक्रम के अन्तर्गत 05 पंजीकृत स्वैच्छिक सेवा प्रदाता निजी चिकित्सकों से स्वैच्छिक सेवा लेने की कार्यनिति बनाने को कहा गया। स्वैच्छिक सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को पोर्टल पर डाटा अपलोड करने एवं यात्रा व्यय का भुगतान तत्काल किये जाने का पुनःअनुरोध किया गया।
 - ‘प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान’ कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद में एच०एम०आई०एस० की रिपोर्ट के अनुसार 1,04,811 पंजीकृत ए०एन०सी० के सापेक्ष दिसम्बर 2022 तक 36,226 (34.56%) गर्भवती माहिलाओं को ए०एन०सी० की सेवा से आच्छित किया गया है। दूसरी एवं तीसरी तिमाही पर प्रथम बार आने वाली गर्भवती माहिलाओं की संख्या भी बहुत कम 32,386(30.90%) है।
- बैठक में समस्त ब्लाकों से निम्नवत् बिन्दुओं पर पुनः चर्चा की गयी –
 - दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ससमय अधिकतम व्यय किया जाना। रोजाना भुगतान तथा लेखांकन किये जाने का अनुरोध किया गया।
 - एच०एम०आई०एस०, यू०पी०एच०एम०आई०एस०, एम०सी०टी०एस० पोर्टल पर गुणवत्तापूर्ण डाटा समय पर प्रविष्ट किया जाना।
 - जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम एवं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान को मुख्यधारा में लाया जाय।
 - जे०एस०वाई० का भुगतान 48 घण्टे में किया जाना।
 - प्रसूता द्वारा प्रसव के 48 घण्टे तक इकाई में ठहरा जाना।

बैठक में उक्त बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा करते हेतु भ्रमण में पायी गयी कमियों को जनपद एवं ब्लाक स्तर से तत्काल दूर किये जाने को कहा गया एवं राज्य स्तर से निर्धारित लक्ष्यों को ससमय प्राप्त किये जाने हेतु मुख्य चिकिसाधिकारी, एवं उप मुख्य चिकिसाधिकारी महोदय को अवगत कराया गया। मुख्य चिकिसाधिकारी महोदय द्वारा डी०पी०एम०यू० यूनिट, समस्त ब्लाक चिकित्सा अधीक्षकों एवं बी०पी०एम०यू० यूनिट को स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रदान करते हुए बैठक का समापन किया गया।

(जैनेन्द्र कुमार मिश्रा)
परामर्शदाता, प्रोक्योरमेण्ट

(प्रभाकर तिवारी)
परामर्शदाता, मातृ स्वास्थ्य



